न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 03/2010

	प्रार्थी		बनाम	अप्रार्थीगण
1.	सरकार सोजत	जरिये	तहसीलदार	भंवरीदेवी वगैरा कुल 169 पक्षकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्धन अभिभाषक अप्रार्थी

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं 27, 28 से 31, 40 से 45, 106, 107

–: निर्णय :–

दिनांकः–23/10/2017

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा उनके न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 173/68 भक्तीराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 06.09.1972 को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने जो रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें मृतक व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित किया है व कईं व्यक्ति अपनी भूमि आगे से आगे बेचान कर चुके है। विवादित भूमि पर कईं भवन निर्मित हो चुके है तथा कईयों के पक्ष में सिविल कोर्ट से निर्णय पारित किये जा चुके है। जिस निर्णय को रेफरेन्से के माध्यम से खारिज कराने का अनुतोष चाहा है, उसकी कूननन अपील ही हो सकती है। फैसले एवं डिक्री के खिलाफ रेफरेन्स का कोई प्रावधान नही है। उक्त रेफरेन्स आवेदन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09. 1972 के सन्दर्भ में 38 वर्ष बाद पेश किया है, जिसकी देरी का कोई कारण नही दर्शाया है। इसलिये केवल मयाद के आधार पर ही प्रकरण खारिज योग्य है। रेफरेन्स प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकतम अवधि 3 वर्ष की मानी है। रेफरेन्स में वर्णित भूमि आबादी घोषित हो चुकी है तथा इसका स्वरूप कृषि भूमि नही रहा है, इसलिये रेफरेन्स सुनने की अधिकारिता नही होने से क्षेत्राधिकार के अभाव में तहसीलदार सोजत का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। खसरा गिरदावरी में किस्म दर्ज नही होती है। भूमि की किस्म का आधार दस्तावेज जमाबन्दी एवं मिसल बन्दोबस्त है। उपरोक्त रेफरेन्स में वर्णित भूमि कि किस्म राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी एवं मिसल बन्दोबस्त में वर्ष 1947 व वर्ष 1955 में गे0मु0 तालाब नही रही है, ऐसी स्थिति में अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय उपरोक्त प्रकरण पर लागू नही होता है। राजस्व न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत नगरपालिका क्षैत्र में खातेदारी देने पर कोई रोक नही है, न ही विधि के तहत ऐसा करना प्रतिबन्धित है। नियमन, आवंदन के मामले में रोक हो सकती है, किन्तु न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषित करने बाबत कोई रोक नही है। गैर मुमकिन मगरा बाबत खातेदारी अधिकार देने, आवंटन, नियमन पर विधि अनुसार रोक नही है। अप्रार्थी संख्या 27 से 30 का खरीदसुदा भूमि पर समाज भवन निर्मित है, जिसमें चारो तरफ बाउण्ड्री, प्याऊ, कमरे, हॉल आदि का निर्माण किया हुआ है। इसके अतिरिक्त कई अप्रार्थीगण का देहान्त हो चुका है तथा उनके वारिशान को रेकर्ड पर लेने हेतु कोई कार्यवाही नही की गई है, इस कारण भी प्रकरण एबेट होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्राथमिक आपत्ति स्वीकार करवे एवं तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत में वाद संख्या 173/68 सरकार बनाम भक्तिराम में पारित निर्णय दिनांक 06.09.1972 के अनुसार भक्तिराम को सोजत चक I के खसरा नम्बर 423/5 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 424मी. रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नमबर 425 रबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 434मी. रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 74 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। जबकि मात्र खसरा नम्बर 425 की 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर ही भक्तिराम काबिज काश्त था, अन्य भूमियों पर कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी अनुसार दर्ज ही नही था। खसरा नमबर 425 की किस्म भी गै0 मु0 तालाब थी, जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 423 की भूमि उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के बावजूद खातेदारी अधिकार दिये गये है, जो आरम्भ से ही शून्य है। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 173/68 में पारित निर्णय दिनांक 06.09. 1972 पूर्णतः नियम विरूद्ध है, जिसका रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.1972 को अपास्त करवाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। यह प्रकरण तहसीलदार सोजत द्वारा 169 व्यक्तियों को बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित करते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण में वादस्थ भूमि का भौतिक स्वरूप भी परिवर्तन हो चुका है तथा सिलसिलेवार उक्त भूमियां विक्रित भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अनेक खातेदारान फौत हो चुके है, जिनके का0मु0 को पक्षकार बनाने हेतु तहसीलदार सोजत द्वारा परिसीमित समय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। यदि उन पक्षकारों के का0मु0 को नही सुना गया, तो उनके हक हकूक प्रभावित होंगे, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। जहां तक विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का प्रश्न है, वे सम्माननीय अवश्य है, जो मूल प्रार्थना पत्र के निर्णय में अवश्य ही सहायक सिद्ध हो सकते है, किन्तु वर्तमान में प्रकरण में कई अप्रार्थीयों की तलबी होना शेष है, कई अप्रार्थीगण फोत हो चुके है तथा विभिन्न भूमियों का सिलसिलेवार विक्रय हो चुका है। ऐसी स्थिति में तलबी से शेष अप्रार्थीगण, जो फौत हो चुके है, उन अप्रार्थीगण के का0मु0 तथा क्रेतागण को बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया जाकर रेकर्ड की भोतिक प्रस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे सुना जाना आवश्यक एवं न्याय संगत प्रतीत होता है। इस कार्यवाही हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है, जिससे सम्पूर्ण जांच की जाकर वर्तमान रेकर्ड एवं प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा सके।

लिहाजा प्रकरण तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कर प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 9 तथा रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 (खण्ड 1) के अध्याय 4 के नियम 16(ख) तथा खण्ड II के अध्याय 2 के नियम 13 तथा खण्ड I के अध्याय 4 के नियम 17 (क से घ) की पालना करते हुए नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तैयार कर एक माह की अवधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/10/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली